भारत सरकार
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 4795
दिनांक 21 अगस्त, 2025

पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में कमी

†4795. श्री करण भूषण सिंहः

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने हाल के वर्षों में पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क कम किया है और राज्य सरकारों ने भी उपभोक्ताओं को राहत प्रदान करने के लिए कदम उठाए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या विभिन्न राज्यों में ईंधन की खुदरा कीमतों में अंतर बना हुआ है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग) क्या सरकार मूल्य एकरूपता को बढ़ावा देने के लिए राज्यों के परामर्श से सामंजस्यपूर्ण कर ढांचे की संभावना का पता लगा रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री सुरेश गोपी)

(क) और (ख): पेट्रोल और डीजल के मूल्य बाजार निर्धारित हैं और सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियां (ओएमसीज) पेट्रोल और डीजल के मूल्य निर्धारण पर उचित निर्णय लेती हैं। पेट्रोल और डीजल के अंतिम बिक्री मूल्यों में केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित उत्पाद शुल्क और संबंधित राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित राज्य वैट/कर शामिल होते हैं। देश भर के राज्यों में पेट्रोल और डीजल के मूल्य माल ढुलाई दरों, वैट/स्थानीय उगाहियों आदि के कारण भिन्न होते हैं।

केंद्र सरकार ने नवंबर 2021 और मई 2022 में पेट्रोल और डीजल पर क्रमशः 13 रुपये प्रति लीटर और 16 रुपये प्रति लीटर उत्पाद शुल्क कम करके देश भर में मूल्यों में समान रूप से कमी की।

जबकि अधिकांश राज्य सरकारों ने नागरिकों को और अधिक राहत प्रदान करने के लिए वैट की दर कम कर दी, कुछ राज्य सरकारों ने वैट की दरों में कमी नहीं की।

अप्रैल 2025 में पेट्रोल और डीजल, प्रत्येक के उत्पाद शुल्क में 2 रुपये प्रति लीटर की वृद्धि की गई लेकिन इसका भार उपभोक्ताओं पर नहीं डाला गया।

(ग): जीएसटी परिषद ने 17 सितंबर 2021 को आयोजित अपनी 45वीं बैठक में पेट्रोल/डीजल और अन्य पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी व्यवस्था के अंतर्गत शामिल करने पर विचार किया था, लेकिन राजकोष पर इसके भारी प्रभाव के कारण परिषद ने इस मामले को व्यापक विचार-विमर्श तक के लिए टाल दिया था। उक्त बैठक के बाद परिषद ने इस मुद्दे को आगे किसी भी विचार-विमर्श के लिए कार्यसूची मद के रूप में नहीं लिया है।

*****